

प्रलिमिंस फैक्ट: 29 जनवरी, 2021

- [कान्हा टाइगर रज़िर्व](#)
- [35वीं परगति बिठक](#)

Kanha Tiger Reserve

कान्हा टाइगर रज़िर्व

हाल ही में मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रज़िर्व (Kanha tiger reserve) के बफर ज़ोन (Buffer Zone) क्षेत्र में एक बाघनि मृत पाई गई।

प्रमुख बडि:

- अवस्थिति: कान्हा टाइगर रज़िर्व मध्य प्रदेश के दो ज़िलों- मंडला (Mandla) और बालाघाट (Balaghat) में 940 वर्ग कमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इतिहास: वर्तमान कान्हा टाइगर रज़िर्व क्षेत्र पूर्व में दो अभयारण्यों- हॉलन (Hallon) और बंजार (Banjar) में वभिजति था। वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1973 में कान्हा टाइगर रज़िर्व घोषित किया गया।
 - कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।

वशिषताएँ:

- **जीव-जंतु:**
 - मध्य प्रदेश का राजकीय पशु- हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा या स्वैम्प डियर (**Swamp deer or Rucervus duvaucelii**) वशिष रूप से कान्हा टाइगर रज़िर्व में पाया जाता है।
 - अन्य प्रजातियों में टाइगर, तेंदुआ, भालू, गौर और भारतीय अज़गर आदि शामिल हैं।
- **पेड़-पौधे:**
 - यह अपने सदाबहार साल के जंगलों (शोरिया रोबस्टा) के लिये जाना जाता है।
- यह भारत में आधिकारिक शुभंकर, "भूरसहि द बारहसिंगा" (**Bhoorsingh the Barasingha**) का पहला टाइगर रज़िर्व है।

मध्य प्रदेश में अन्य टाइगर रज़िर्व :

- संजय-दुबरी टाइगर रज़िर्व।
- [पनना टाइगर रज़िर्व](#)।
- [सतपुड़ा टाइगर रज़िर्व](#)।
- [बांधवगढ़ टाइगर रज़िर्व](#)।
- [पैच टाइगर रज़िर्व](#)।

कोर और बफर ज़ोन

- प्रबंधन के उद्देश्य से 'कोर - बफर' रणनीतिक तहत टाइगर रज़िर्व की स्थापना की जाती है।
- कोर क्षेत्रों में वानिकी, लघु वनोपज संग्रह, चराई, मानव बस्तियाँ और अन्य किसी भी प्रकार के जैविक हस्तक्षेप (Biotic Disturbances) की अनुमति नहीं होती है जो का संरक्षण की दशा में एक वशिष कदम है।
- **बफर ज़ोन (Buffer Zone)** का प्रबंधन एक बहुउद्देश्यीय उपयोगी क्षेत्र (Multiple Use Area) के रूप में किया जाता है, जिसमें भूमिका संरक्षण उन्मुख उपयोग शामिल होता है, यह हतिधारक समुदायों को ध्यान में रखते हुए वशिषिट साइट के **इको डेवलपमेंटल (Eco Developmental)** हेतु

लागत सुवधि प्रदान करने के अलावा कोर क्षेत्र में जंगली जानवरों की पूर्व संरक्षित आबादी को नविस स्थान प्रदान करने जैसे उद्देश्यों की भी पूर्तिकरता है।

बारहसगि (Barasingha)

- **उप-प्रजाति:** भारतीय उपमहाद्वीप में **बारहसगि/स्वैम्प डयिर** की तीन उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो इस प्रकार हैं:
 - नेपाल में पाया जाने वाला वेस्टर्न **स्वैम्प डयिर** (*Rucervus duvaucellii*)
 - साउथन स्वैम्प डयिर/हारड ग्राउंड **बारहसगि** (*Rucervus duvaucellii branderi*) मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है।
 - **काजीरंगा** (असम) और **दुधवा नेशनल पार्क** (उत्तर प्रदेश) में पाए जाने वाले इस्टर्न स्वैम्प डयिर (*Rucervus duvaucellii ranjitsinhi*)
- **स्वैम्प डयिर की संरक्षण स्थिति:**
 - **IUCN की रेड लिस्ट:** सुभेद्य
 - **CITES:** परशिष्ट।
 - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची।

35th Pragati Meeting

35वीं प्रगति बैठक

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने **प्रो-एक्टिवि गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन** (**Pro-Active Governance And Timely Implementation- PRAGATI**) के 35वें संस्करण की अध्यक्षता की। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।

- इसमें दस परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिनमें कुल 54,675 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। साथ ही **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना** (Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana) की भी समीक्षा की गई।

प्रमुख बंदि:

प्रगति के बारे में:

- **प्रगति (PRAGATI)** को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। यह प्रो-एक्टिवि गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हेतु एक मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।
- इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office- PMO) की टीम द्वारा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (National Informatics Center- NIC) की मदद से तैयार किया गया है।
- यह पीएम को संबंधित केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर स्थितिकी पूरी जानकारी और नवीनतम दृश्यों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है।
 - PRAGATI में तीन वशिष्ट नवीनतम तकनीकों का समावेश किया गया है जिसमें डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक शामिल है।
- यह एक त्रिसंघीय प्रणाली (PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव) है।

उद्देश्य:

- शिकायत नविरण।
- कार्यक्रम क्रयान्वयन।
- परियोजना की नगिरानी।

महत्त्व:

- यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक साथ मंच पर लाता है।
- यह प्रमुख हतिधारकों की वास्तविक समय पर उपस्थितिके साथ-साथ वनिमिय में ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली है।
- यह ई-गवर्नेंस और सुशासन हेतु एक नवीनतम परियोजना है।

चिंताएँ:

- राज्यों के राजनीतिक अधिकारियों को शामिल किये बिना राज्य सचिवों के साथ पीएम की सीधी बातचीत राज्य की राजनीतिक कार्यकारी को कमजोर

कर रही है।

- यह पीएमओ के अतरिक्त संवैधानिक कार्यालय (Extra-Constitutional Office) को अधिक शक्तिशाली बनाता है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-fact-29-january-2021>

